

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा


क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 116 / 2021

दिनांक : 23.07.2021

**श्रीमती स्वाति परेवा (RJ0708)**, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-09, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर) को दिनांक 26.07.2021 से 27.08.2021 तक 33 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 24.07.2021 से 25.07.2021 एवं 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के सपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

**श्री चेतन कुमार गोयल (RJ0764)**, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर) को श्रीमती स्वाति परेवा के उक्त **अवकाश** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-09, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर) के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. **श्री चेतन कुमार गोयल (RJ0764)**, जिनको अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-09, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।


आज्ञा से,  
  
22.07.2021  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/77/2011/ 4699

दिनांक 23.07.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-॥ को उनके पत्रांक 2538 दिनांक 12.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती स्वाति परेवा (RJ0708)**, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-09, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-09, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर)।
5. **श्री चेतन कुमार गोयल (RJ0764)**, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर)।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम-08, जयपुर महानगर-॥ (मुख्यालय-आमेर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
23/7/21  
सहायक रजिस्ट्रार